पत्र संख्या-स्था-5(ख) -पदोन्नति -प्रशा0अधि0/वरि0प्रशा0अधि0-2014-15// 5583 // वाणिज्यकर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्यकर उत्तर प्रदेश

(स्थापना अनुभाग)

//लखनऊ//दिनांक // फरवरी, 27 2015

::आदेश::

शासनादेश संख्या- क0नि0-4-1269 / 11-2011-30(5) / 2011 दिनांक 26-09-2011 तथा उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली-2014 में दिये गये प्राविधानानुसार कमिश्नर, वाणिज्यकर उत्तर प्रदेश से अनुमोदनोपरान्त विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर वाणिज्यकर विभाग में कार्यरत निम्नलिखित प्रशासनिक अधिकारी (वेतन बैण्ड-2-9300-34800 सादृश्य ग्रेड वेतन 4600) को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (वेतन बैण्ड-2-9300-34800 सादृश्य ग्रेड वेतन 4800) के पद पर चयन वर्ष 2014-15 के लिये पदोन्नति प्रदान करते हुये अग्रिम आदेशों तक उन्हें उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर बनाये रखा जाता है :-

क्रम सं0	ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	कर्मचारी का नाम एवं पिता / पति का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान
1	2	3	4
1-	154	श्रीमती आशा अग्रवाल / श्री एम0 अग्रवाल	मेरठ

2- शासनादेश दिनांक 03-07-2009 द्वारा वाणिज्यकर विभाग में नवीन स्वीकृत कार्यालयों हेतु स्वीकृत किए गए लिपिक वर्गीय पदों को वाणिज्यकर विभाग में अधीनस्थ जोन / मुख्यालय के अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों हेतु आवंटन किये जाने की कार्यवाही मुख्यालय स्तर पर विचाराधीन है। अत: वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद के आवंटन की कार्यवाही के अन्तिम रुप से निस्तारणोपरान्त जोन / मुख्यालय स्तर पर आवंटित पद के सापेक्ष उपरोक्त पदोन्नत कार्मिक की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। **इसके फलस्वरुप यदि संबंधित कार्मिक का वर्तमान तैनाती स्थान परिवर्तित होता है, तो सम्बन्धित जोन स्तर पर पद उपलब्ध न होने की दशा में पदोन्नत कार्मिक द्वारा यदि कोई विकल्प प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो वह स्वीकार्य न होगा।**

3- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उपरोक्त पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नति आदेश तामील कराते हुये उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर ही वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करायें तथा यदि वह किन्ही कारणों से पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक न हों, तो उससे **उक्त आशय का पदोन्नति फोरगो पत्र प्राप्त करके दिनांक 12-03-2015 तक अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायें।**

4- संबंधित नियन्त्रक अधिकारी / संभागीय अधिकारी कृपया यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उपर्युक्त पदोन्नत कार्मिक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत आरोप पत्र निर्गत हो, सतर्कता जॉच /ई0ओ0डब्ल्यू0 जॉच चल रही हो तो यह पदोन्नति आदेश प्रभावी न मानते हुए उन्हें कार्यभार ग्रहण न कराए और अधोहस्ताक्षरी को तत्काल सूचित करें।

5- वर्तमान में यदि सम्बन्धित कर्मचारी स्तम्भ-4 में अंकित स्थान से स्थानान्तरित हो गया हो तो उसकी वर्तमान तैनाती का स्थान तदनुसार संशोधित मानकर सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी अपने स्तर से उक्त कर्मचारी को इस पदोन्नति आदेश की एक प्रति तामील कराते हुये कार्यभार ग्रहण करायेंगे और इसकी सूचना मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

ह0

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)

एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन)वाणिज्यकर

उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक // उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- कमिश्नर वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

2- जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्यकर, मेरठ।

3- ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्यकर, मेरठ।

4- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0),वाणिज्यकर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

5- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी, वाणिज्यकर मेरठ।

6- आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्यकर, मेरठ।

7- चरित्र पंजिका सेल, वाणिज्यकर स्थापना अराजपत्रित अनुभाग मुख्यालय।

8- पटल प्रभारी स्था-4घ, स्था-6 सामान्य / स्था-5ख (ज्येष्ठता) वाणिज्यकर मुख्यालय।

9- सम्बन्धित कर्मचारी को (नाम से)।

(डी0सी0 गुप्ता)
डिप्टी कमिश्नर(स्थापना अराज0)वाणिज्यकर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ